न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 177 / 2012 / बाड़मेर

अपीलांट

1. सच्चु पुत्र अकलु
2. इनात पुत्र अकलु
3. हुसैन पुत्र मतारा
4. जैसा पुत्र मीरण
5. हाकम पुत्र बागा
6. हयात पुत्र बागा
7. सुरा पुत्र बागा
8. सिंधल पुत्र बागा
9. एला पुत्र बागा
10. मिसरा पुत्र अईब
11. अरबाब पुत्र अईब
12. सुजाना पुत्र अईब जाति मुसलमान निवासी कंटल का पार तहसील रामसर जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.सोधरी पत्नी हबला
2.धाई पुत्री हबला
3.अमीन पुत्र हैदर
4.अमर पुत्र हैदर
5.सैन्दल पुत्र हैदर
6.माहिब पुत्र हैदर
7.सलीम पुत्र हैदरा
8.हैयात पुत्र जलाल
9.जैसा पुत्र मीर खां जाति मुसलमान निवासी कंटल का तहसील रामसर जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर रामसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 33/2010 बअनवान सोधरी वगै. बनाम सचू वगैरा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.03.2012 के विरूद्ध पेश हुई।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

उपस्थिति

1. वकील श्री महेन्द्रकुमार रामावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बलवंतसिंह चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 24.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 ने इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि पक्षकारान मुस्लिम विधि से शासित है तथा वादीगण मुतवफी हबला पुत्र वारस की जांयदा पुत्रीया है। वारस की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा कंटलिया का पार में खसरा संख्या 111 रकबा 78.17 बीघा, मौजा सियाई में खसरा संख्या 53 रकबा 160.06 बीघा व खसरा संख्या 182/87 रकबा 152.03 बीघा तथा मौजा वीरमीयार में खसरा संख्या 175/22 रकबा 17.01 बीघा तथा खसरा संख्या 180/39 रकबा 233.04 बीघा आये थे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

मुतवफी हवला की कृषि जोत में मुस्लिम विधि अनुसार हिस्सा 2/3 पैदा होता है, शेष 1/3 हिस्सा रहता है जिस पर प्रयातर्वन का सिद्धांत लागू होता है। वसीयतकर्ता की मृत्यु पर वसीयतग्रहिता प्रतिवादी संख्या 01 ने वीसयत ग्रहण करने की न तो स्वीकृति दी थी। प्रतिवादी संख्या 01 मृतक का उताराधिकारी है अत इस वसीयत के निष्पादन से पूर्व शेष वारीसान की सहमति आवश्यक थी जो नहीं ली गई। मुस्लिम विधि अनुसार किसी वारिस के पक्ष में 1/3 भाग से ज्यादा वसीयत की गई हो तो शेष जीवित वारीसान की सहमति आवश्यक थी जो नहीं ली गई अतः वसीयत शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण सहायक कलक्टर रामसर खुलने के कारण वहां के क्षेत्राधिकार का होने पर बताकर भेज दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। आदेश 06 नियम 17 सी पी सी के आवेदन की नकल व संशोधन वाद की नकल नहीं दी गई इससे यह प्रमाणित है कि अपीलांट की उपस्थिति गलत दर्ज की गई है। अपीलांट सच्चू के पक्ष में जो खातेदारी भूमि स्वर्गीय हबला की प्राप्त हुई थी वह भूमि जरिये वसीयतनामा के प्राप्त होने के कारण जब तक उक्त वसीयत सिविल न्यायालय से निरसत नहीं कराई जाती तब तक हस्तगत वाद में कोई रिलीफ नहीं दी जा सकती है। मुस्लिम विधि में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किसी प्रकार से उसकी खातेदारी भूमि प्राप्त होगी, इस संबंध में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी कोई राय नहीं की है व विधि से परे जाकर प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित की गई जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण सहायक कलक्टर रामसर खुलने के कारण वहां के क्षेत्राधिकार का होने पर बताकर भेज दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। आदेश 06 नियम 17 सी पी सी के आवेदन की नकल व संशोधन वाद की नकल नहीं दी गई इससे यह प्रमाणित है कि अपीलांट की उपस्थिति गलत दर्ज की गई है। अपीलांट सच्चू के पक्ष में जो खातेदारी भूमि स्वर्गीय हबला की प्राप्त हुई थी वह भूमि ज़रिये वसीयतनामा के प्राप्त होने के कारण जब तक उक्त वसीयत सिविल न्यायालय से निरसत नहीं कराई जाती तब तक हस्तगत वाद में कोई रिलीफ नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

दी जा सकती है। मुस्लिम विधि में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किसी प्रकार से उसकी खातेदारी भूमि प्राप्त होगी, इस संबंध में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी कोई राय नहीं की है व विधि से परे जाकर प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि मुतवफी हबला, जिसकी वसीयत वाद की मूल विषय वस्तु है, जाति से मुसलमान होने से वक्त मृत्यु मुस्लिम विधि से शासित था अतः उसकी वसीयत पर भी मुस्लिम विधि के प्रावधान लागू होगें। उक्त विधि के अनुसार अंशधारी वारित विद्यमान होने से मुसलमान अपनी सम्पति के अधिकतम 1/3 भाग की किसी को वसीयत कर सकता है। अपीलांट की अपील 27 दिन बाद में पेश की गई है तथा विलंब माफी के लिए धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र व शपथ–पत्र भी पेश नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि सम्मत पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRD 2012 Page 276
RRT 2011(2) Page 851
RRT 2017(1) Page 33
RRT 2017(1) Page 117

अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखा जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुचे कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.03.2012 को हुआ जिसकी अपील दिनांक 28.05.2012 को प्रस्तुत की। अपील अंदर मिंयाद पेश है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर आदेशिका दिनांक 10.08.2009 स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 07, 14 से 16 की तरफ से वकालतनामा पेश हुआ जिनकी तरफ से इकबालिया जबावदावा पेश हुआ। दिनांक 26.07.2010 को प्रतिवादी संख्या 01 से 12 व 17 से 19 की तरफ से वकालतनामा पेश हुआ। फिर पत्रावली बाड़मेर से रामसर न्यायालय में ट्रांसफर हुई जिस पर वकील फरीकेन सूचित होने से 08.11.2010 को वकुलाय फरीकेन उपस्थित हुए। दिनांक 08.02.2011 को 01 से 06, 08 से 13 व 17 से 19 (प्रतिवादीगण) की ओर से जबाव पेश हेतु अवसर चाहा। तत्पश्चात दिनांक 27.09.2011 को प्रतिवादी वकील अनुपस्थित रहे। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट/प्रतिवादी पक्ष अपने मामले में पूर्ण सतर्क एवं सजग नहीं रहे। उनकी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तरफ से समुचित पैरवी का अभाव रहा है। निर्णय एकतरफा नहीं ठहराया जा सकता। उपरोक्त विवेचन एवं पेश न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में अपील खारिज योग्य ठहरती है।

अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रामसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 33/2010 बअनवान सोधरी वगै. बनाम सचू वगैरा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.03.2012 को यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

24/7/19 राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 24.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/7/19 राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner